



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-432

New Delhi: 17.06.2019

Sh. Baburam
S/o Sh. Amar Singh
R/o Chhaprauli
District- Gautambudh Nagar
UP
Mobile-9911916093

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 03.06.19 received through CPM/Meerut's office on 17.06.19.

You have submitted your above RTI application at CPM/Meerut's office, The CPM/Meerut's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

Appellate Authority's name and address are as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M./Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 01 sheet.

पत्रांक: एमटीसी/ईएन/आर0टी0आई0/भाग-6

दिनांक: 14.06.2019

डिप्टी जी0एम0/एडमीन (पी0आई0ओ0)
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

सन्दर्भ: आवेदनकर्ता श्री बाबूराम पुत्र श्री अमर सिंह निवासी छपरौली, जिला-गौतमबुद्धनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक: 03.06.2019

आवेदनकर्ता श्री बाबूराम पुत्र श्री अमर सिंह निवासी छपरौली, जिला-गौतमबुद्धनगर द्वारा निम्नलिखित सूचना चाही गई है:-

1. आपकी यूनिट द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किन-किन व्यक्तियों को प्रति कर वितरण किया गया है। प्रत्येक ऐसे लाभार्थी का नाम, पिता का नाम व पते के साथ-साथ उनकी अर्जित भूमि का वितरण भी उपलब्ध करायें।
2. उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से किन-किन को भूमि अधिनियम 2013 की अनुसूचि के अन्तर्गत रोजगार व पुर्नवास भत्ते के रूप में 500000/- व 50000/- रु प्रतिकर दिया गया है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम व पते के साथ-साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के अभिनिर्णय की प्रति भी उपलब्ध करवायें।
3. इस भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित शासनादेश/कम्पनी पॉलिसी गाईड लाईन अथवा अधिनियम के सुसंगत प्रावधान की प्रति भी उपलब्ध करवायें।

सम्बन्धित पत्र के सम्बन्ध में चाही गई सूचना में अवगत कराना है कि आवेदनकर्ता डीएफसीसीआईएल परियोजना से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

संलग्नक: आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

उप.परियोजना प्रबन्धक/उप.जनसूचना अधिकारी
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ।